॥ ओ३म् ॥

"विद्ययाऽमृतमश्नुते"

वैदिक शिक्षा समिति

आर्य कन्या गुरूकुल महाविद्यालय

पंचगाँव (भिवानी) का

संशोधित संविधान (सोसायटी एक्ट 2012 के अनुसार)

(नियम–उपनियम)

प्रकाशक

मन्त्री

वैदिक शिक्षा समिति

आर्य कन्या गुरूकुल महाविद्यालय, पंचगाँव

पो0 गोपी, तहसील बाढडा, जिला भिवानी (हरियाणा)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

(2) उप-प्रधान :-

[illegible]

[illegible]

(3) मंत्री :-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

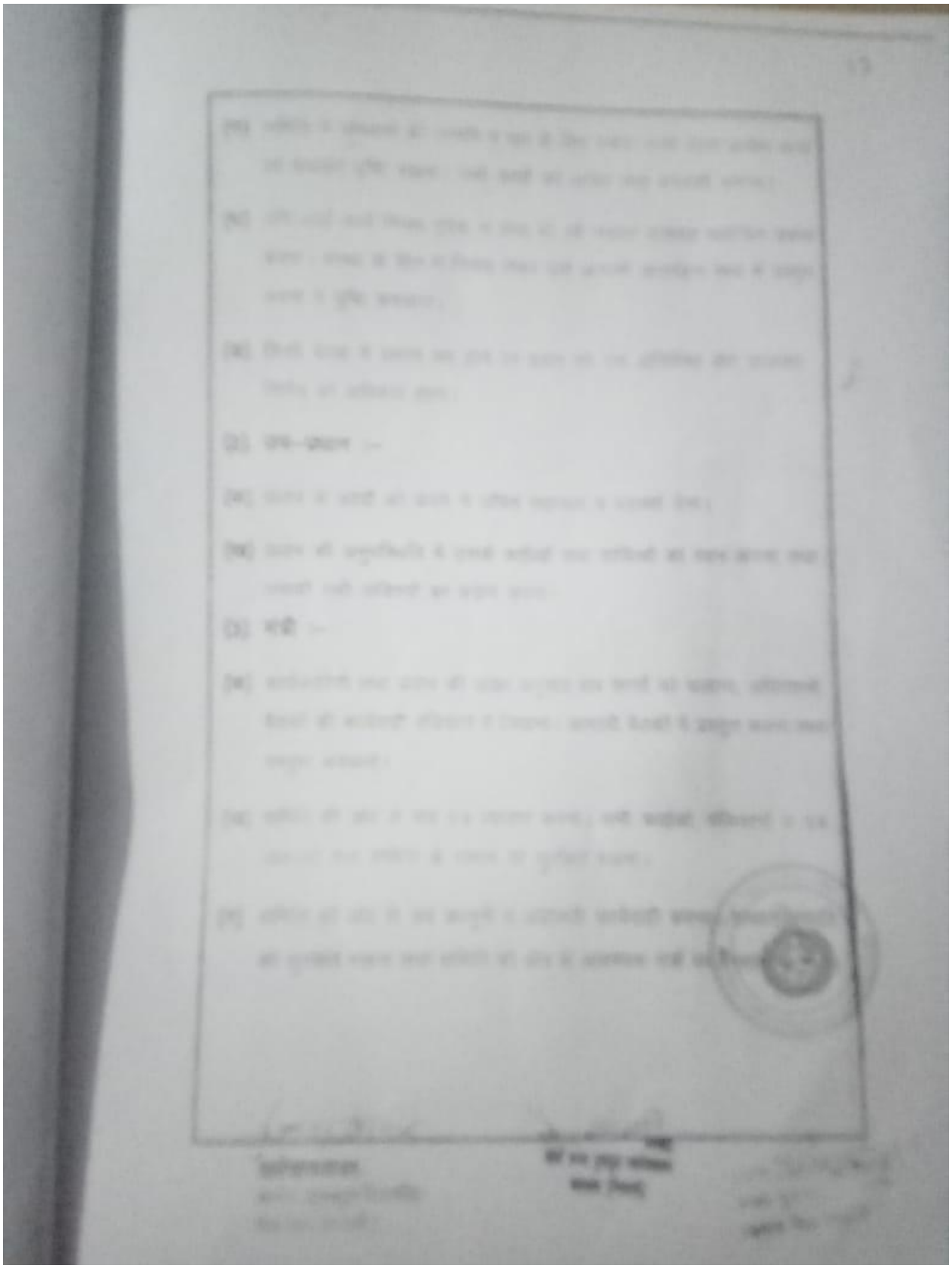

सुविधा हेतु छात्रवृत्ति एवं विविध आवासों के लिए छात्रावास आदि का प्रबंध करना।

3. समाज में फैली कुरीतियों, सामाजिक बुराईयों, धूम्रपान, शराब, तम्बाकूखोरी, मादक द्रव्य प्रयोग, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज, पितृकुलवंशी अन्धविश्वास आदि बुराईयों को दूर करने के लिए जन जागरण करना।

4. गोपालन, गौ सम्वर्धन, पर्यावरण संरक्षण, जैविक कृषि आदि प्राकृतिक संसाधनों को अपनाने का प्रचार-प्रसार करना।

5. उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के निमित्त किसी भी प्रकार के अन्य नूतन संस्थानों की स्थापना करना तथा धन संग्रह करना।

6. समिति सम्प्रति पचगांव में आर्य कन्या गुरुकुल महाविद्यालय का संचालन कर रही है। जिसकी परम्परागत जीवन चर्या के अनुसार निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रम होंगे जिन्हें छात्राएँ स्वयं करेंगी

क. कृषि एवं बागवानी (क्रियात्मक प्रशिक्षण)

ख. गोपालन (गो सेवा, दुग्ध संग्रहण आदि)

ग. प्राचीन आयुर्वेद चिकित्सा व प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति प्रशिक्षण।

घ. पशु चिकित्सा प्रशिक्षण

ङ. पाक विद्या प्रशिक्षण

च. संगीत कला प्रशिक्षण

छ. कम्प्यूटर प्रशिक्षण तथा अन्य उद्योगों का क्रियात्मक प्रशिक्षण।

7. यह समिति अपने समस्त व्यवहारों के लिए देवनागरी लिपि में हिन्दी भाषा (राष्ट्रभाषा) का प्रयोग करेगी।

2. **आजीवन सदस्य** :– जो सदस्य 5100 / 11000 रुपये एक मुश्त सदस्यता शुल्क देवें।

3. **संरक्षक/संस्थापक सदस्य**:– जो सदस्य 100000 / 200000 रुपये एक मुश्त देवें। संरक्षक सदस्य बिना निर्वाचन के [illegible] परिषद् में होंगे। प्रत्येक सदस्य को अंशदान का भुगतान प्रत्येक वर्ष के अप्रैल के प्रथम दिन को देय होगा।

4. सदस्यता शुल्क को कार्यकारिणी को भविष्य में बढ़ाने का अधिकार होगा।

(ख) **प्रवेश प्रक्रिया** :– समिति की सदस्यता का इच्छुक व्यक्ति निर्धारित पत्र भरकर अंशदान साक्ष्य सहित समिति के मंत्री को प्रस्तुत करेगा तथा इसका कार्यकारिणी निर्णय करेगी जो कि मान्य होगा।

विशेष :– संशोधित संविधान सोसाइटी एक्ट 2012 से पूर्व के सभी आजीवन सदस्य मान्य होंगे किन्तु उन्हें चुनाव से पूर्व सदस्यता फॉर्म, पहचान पत्र इत्यादि प्रक्रिया अपनाकर अपनी सदस्यता का नवीनीकरण करवाना होगा। तभी वे मताधिकारी होंगे।

(ग) सभी प्रकार के सदस्यों का कार्यकारिणी द्वारा तैयार किया गया पूर्ण विवरण सहित एक रजिस्टर होगा। (धारा–18)

(घ) **पहचान पत्र** :– समिति के प्रत्येक सदस्य को नवीनतम फोटो सहित समिति के प्रधान व मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित पहचान पत्र दिया जायेगा। (धारा–17)

7. सदस्यता समाप्ति :– (धारा – 22)

(क) पूर्व निर्दिष्ट उद्देश्यों तथा सदस्यता की योग्यता के विपरीत आचरण [illegible] किसी भी श्रेणी के सदस्य को पृथक करने का अधिकार सर्व सम्मति या 2/3 बहुमत से कार्यकारिणी को होगा।

[illegible]

[illegible]

13. अधिकारियों के कर्तव्य एवं अधिकार– [illegible]

(1) प्रधान :–

[illegible]

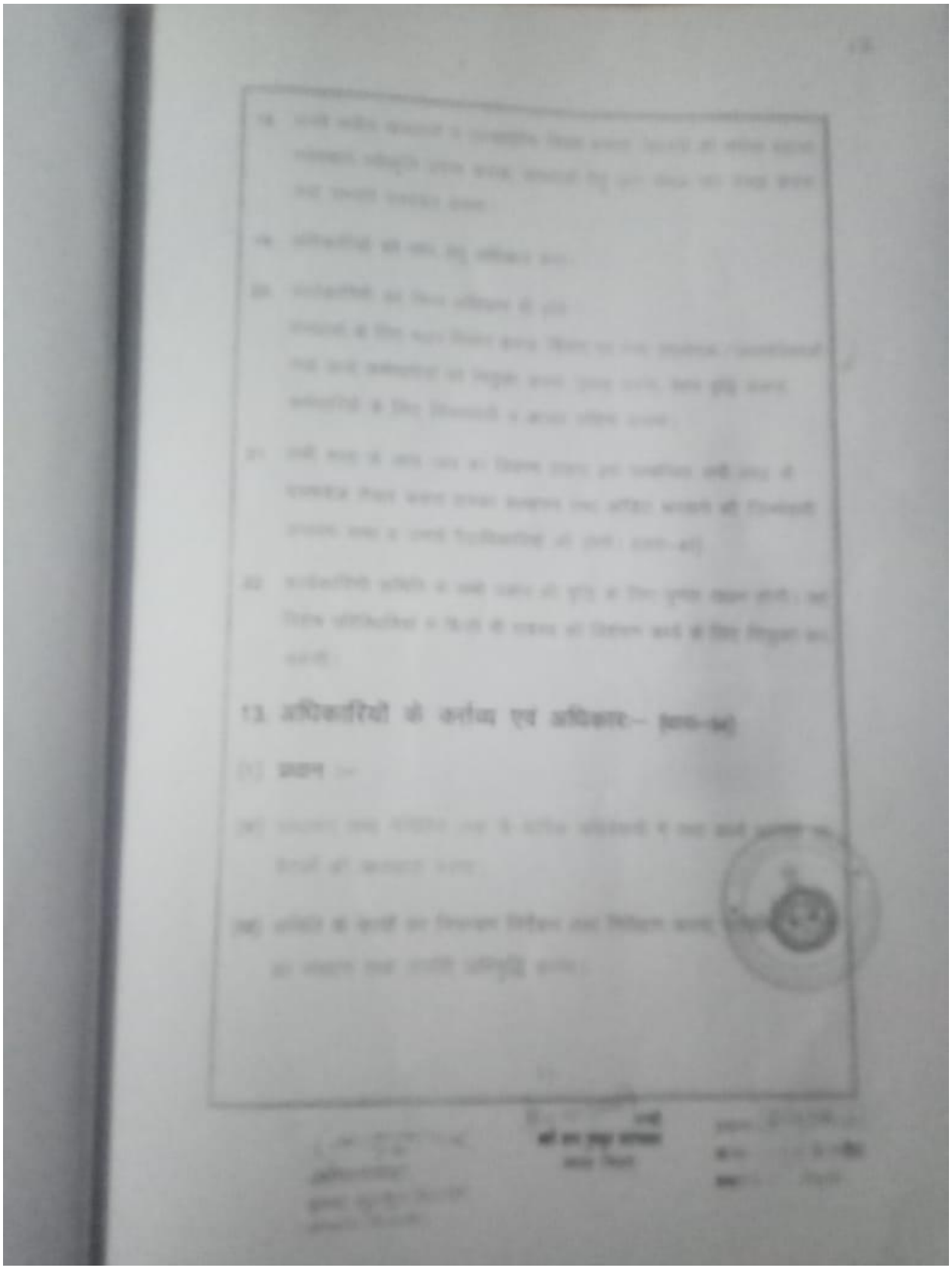

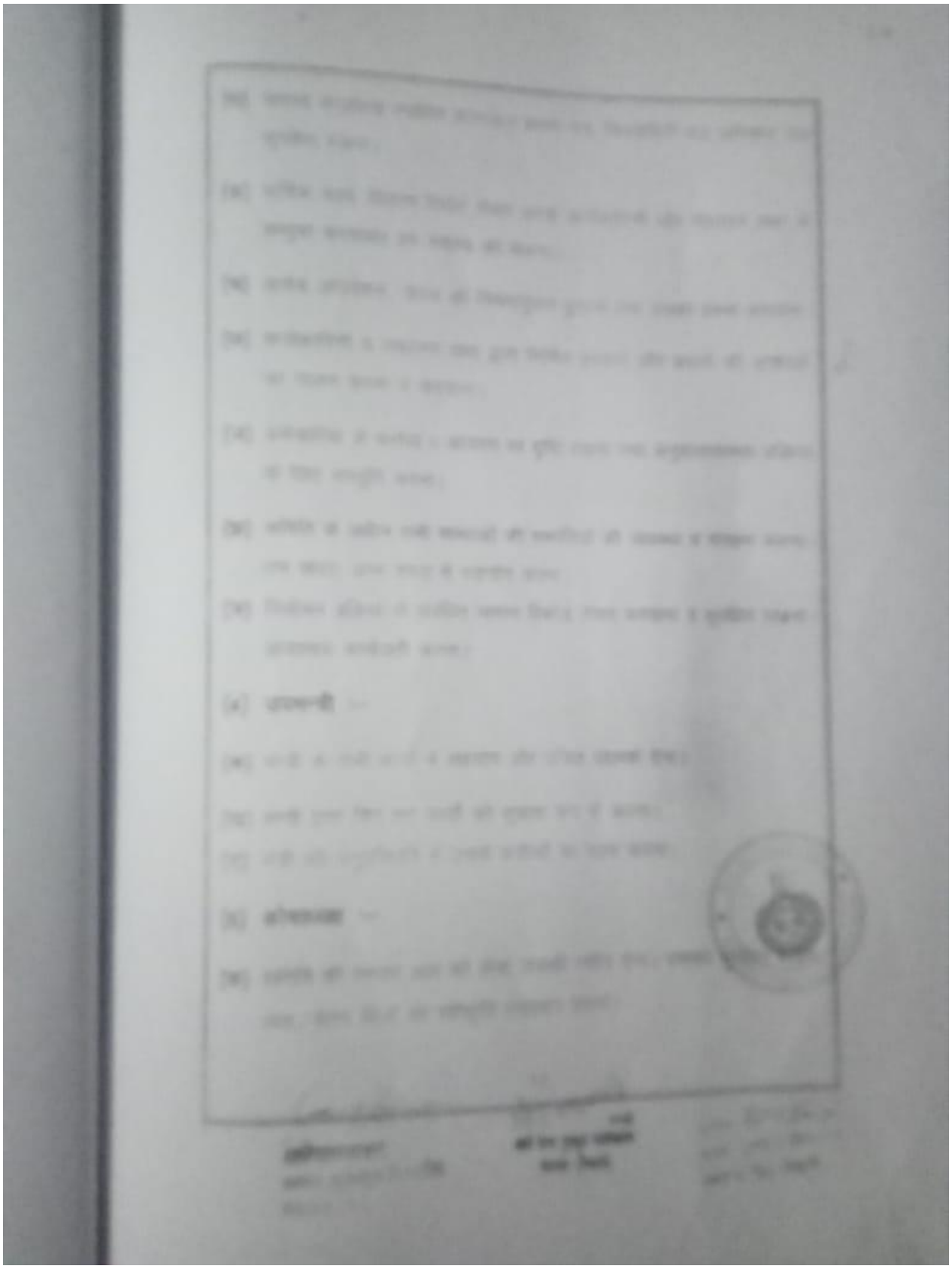

(ख) जिस किसी सदस्य के व्यवहार से समिति में कलह आदि कुप्रवृत्तियों के बढ़ने की आशंका हो उसको भी कार्यकारिणी सर्वसम्मति से या 2/3 मत से सदस्यता से पृथक कर सकेगी।

(ग) मृत्यु, उन्माद रोग, त्याग पत्र देने व उसके स्वीकृत होने पर, चरित्रहीनता, भ्रष्टाचार आदि में कानूनी सजा होने पर धारा–5 में निर्दिष्ट उद्देश्यों–नियमों के अनुकूल आचरण न होने पर सदस्यता स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

(घ) यदि कोई सदस्य उपर्युक्त अवस्था में अपनी सदस्यता खो बैठता है तो उसका शुल्क लौटाया नहीं जावेगा।

(ङ) निष्कासन के लिए पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। निष्कासित को साधारण सभा में यथानियम अपील का अधिकार होगा।

8. साधारण सभा के कर्त्तव्य व अधिकारः– (धारा–29)

(क) समिति के संविधान में परिवर्तन, सम्वर्धन, विलोपन करना।

(ख) गत वर्ष के आय–व्यय की संपुष्टि करना एवं आगामी वर्ष का अनुमानित बजट पास करना।

(ग) नियम अनुसार प्रति तीसरे वर्ष पदाधिकारियों सहित 21 सदस्यीय कार्यकारिणी का चुनाव करना।

(घ) समिति के अधीन संस्थाओं का संचालन एवं नीति निर्धारण करने के लिए उनके कार्यक्रम का निरीक्षण कर उचित सम्मति देना। आय–व्यय व कार्य... रजिस्टर का 7 दिन पूर्व सूचना देकर अवलोकन करना।

कोषाध्यक्ष,

मन्त्री

(सोसायटी एक्ट [illegible] के अनुसार कन्या गुरुकुल [illegible] के

नियम-उपनियम)

4. इस समिति की दो निम्न सभा होंगी :–

क. साधारण सभा :– समिति के सभी सदस्यों का संगठन / कार्यकारिणी सहित।

ख. कार्यकारिणी :– साधारण सभा के द्वारा संविधान के अनुसार निर्वाचित पदाधिकारियों सहित 21 सदस्यों का प्रबन्धकर्ता संगठन।

5. सदस्य :– (धारा – 14, 16)

सदस्यता की साधारण योग्यता :–

(क) कोई भी आर्य व्यक्ति जो समिति के निर्दिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हो तथा ऋषि दयानन्द निर्दिष्ट सत्यार्थप्रकाश के 51 सिद्धांतों और आर्य समाज के दस नियमों का स्वीकारकर्ता तथा अनुसरणकर्ता हो।

(ख) जिसकी आयु 21 वर्ष से न्यून न हो।

(ग) इस समिति के अधीन किसी भी संस्था के कोई नियमित छात्र, वैतनिक कर्मचारी, समिति का पदाधिकारी नहीं हो सकेगा।

(घ) दिवालिया, विकृतचित, भ्रान्त मस्तिष्क, अनैतिक कार्यों के लिए जुर्माना या सजा प्राप्त, आर्य समाज के सिद्धान्तों व परिभाषित सदाचार के विरुद्ध आचरण वाला, समिति के उद्देश्यों से असहमत व्यक्ति सदस्यता का पात्र नहीं होगा।

6. सदस्यों के प्रकार :– (धारा – 15)

(क) इस समिति के तीन प्रकार के सदस्य होंगे –

1. साधारण सदस्य :– जो सज्जन 1100 / 2100 रुपये एक साथ वार्षिक सदस्यता शुल्क दें।

मन्त्री [illegible]

प्रधान [illegible]

(ख). पदाधिकारी :– (धारा–34)

1. प्रधान 2. उप–प्रधान 3. मन्त्री
4. उप–मंत्री 5. कोषाध्यक्ष = कुल 5

(ग) अगर निर्धारित 21 सदस्यीय कार्यकारिणी चाहे तो निर्वाचक सदस्यों में से 11 व्यक्तियों को विशेष आमंत्रित सदस्य भी रखा जा सकता है। आमंत्रित सदस्यों को केवल सुझाव और परामर्श देने का अधिकार होगा।

(घ) यदि कार्यकारिणी में किसी पदाधिकारी या सदस्य का स्थान मृत्यु, त्यागपत्र, विक्षिप्तता अथवा पृथक किए जाने के कारण या किसी अन्य कारण से कार्यकाल के मध्य में रिक्त होता है तो कार्यकारिणी उस स्थान को समिति के सदस्यों में से शेष अवधि के लिए पूरा कर लें। वह सदस्य अपने पूर्वाधिकारी का स्थान्नापन समझा जाएगा। इसकी सूचना आगामी साधारण सभा में देनी होगी।

11. (क) पद अपस्थापन :– यदि कार्यकारिणी का पदाधिकारी या सदस्य आर्थिक अनियमितता, आचार हीनता या मनमानी का दोषी हो तो उसे कार्यकारिणी 2/3 बहुमत से हटा सकती है। समिति के सदस्य भी संविधान के नियम 9 (क) के अंतर्गत साधारण सभा का अधिवेशन बुलाकर 2/3 बहुमत से कार्यवाही करने में सक्षम होंगे।

(ख)अपवर्जन :–

1. समिति का कोई सदस्य समिति में अथवा सम्बन्धित संचालित संस्थान में पूर्णकालिक या अंशकालिक नियोजन में नहीं होगा।

(क) 1. कुलपति 2. उप–कुलपति

(ख) प्राचार्य / प्राचार्या

शैक्षिक संस्थानों के लिये प्राचार्य होगा। जिसे "हरियाणा एजुकेशन कोड" द्वारा प्रदत्त सभी अधिकार प्राप्त होंगे। पठन पाठन अनुशासन आदि की समस्त व्यवस्थाएं उसके अधीन होंगी। कई संस्थान हों तो अलग–अलग प्राचार्य हो सकते हैं।

(ग) मुख्याधिष्ठाता

समिति के अधीन चलने वाली शिक्षा संस्थानों के लिये एक प्रशासक अधिकारी (एडमिस्ट्रेशन आफिसर) होगा। उसके अधीन समस्त आन्तरिक प्रशासन होगा।

अध्यापक कर्मचारियों पर नियंत्रण, आवश्यक लेखा रजिस्टर, अवकाश स्वीकार करना, नियमादि बनाना, छात्रावासों के संरक्षण तदधीन होंगे।

नोट :– प्राचार्य और मुख्याधिष्ठाता एक व्यक्ति भी हो सकता है। कार्य की अधिकता होने पर दोनों पदों पर पृथक–पृथक व्यक्ति भी हो सकते हैं। दोनों पद वैतनिक / अवैतनिक हो सकते हैं।

प्राचार्य व मुख्याधिष्ठाता कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे।

कर्मचारियों के आचरण, नियुक्ति व अन्य व्यवहार में उनका परामर्श महत्वपूर्ण होगा।

16. सभा के अन्य नियम (धारा–62)

(क) समिति अपने नियम व कार्यक्रम स्वयं बनाएगी। यह उसका कानूनी [illegible] है।

कोषाध्यक्ष, [illegible] गुरुकुल विद्यापीठ [illegible] (भिवानी)

मन्त्री [illegible] संस्था (भिवानी)

प्रधान [illegible] विद्यापीठ [illegible]

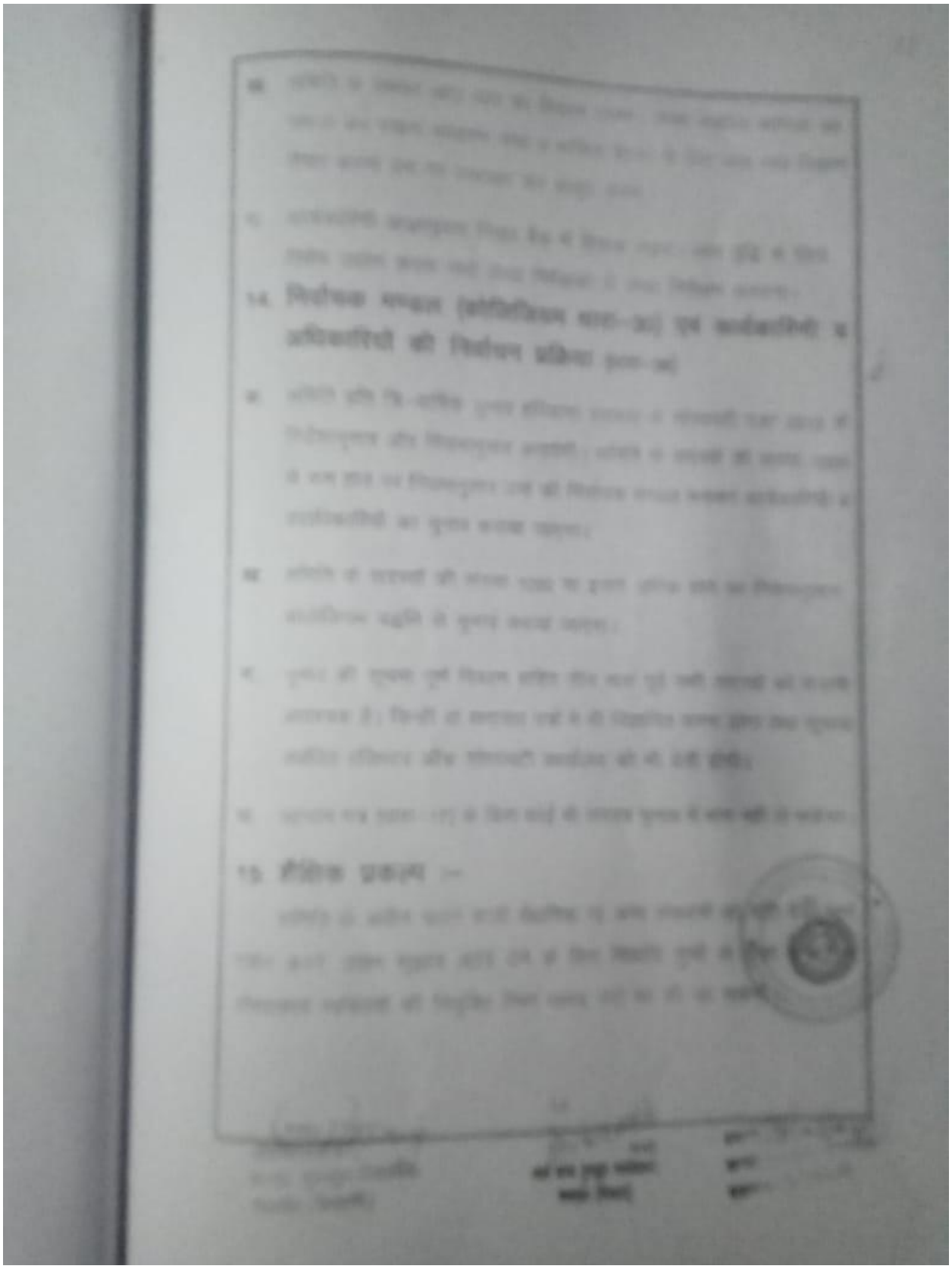

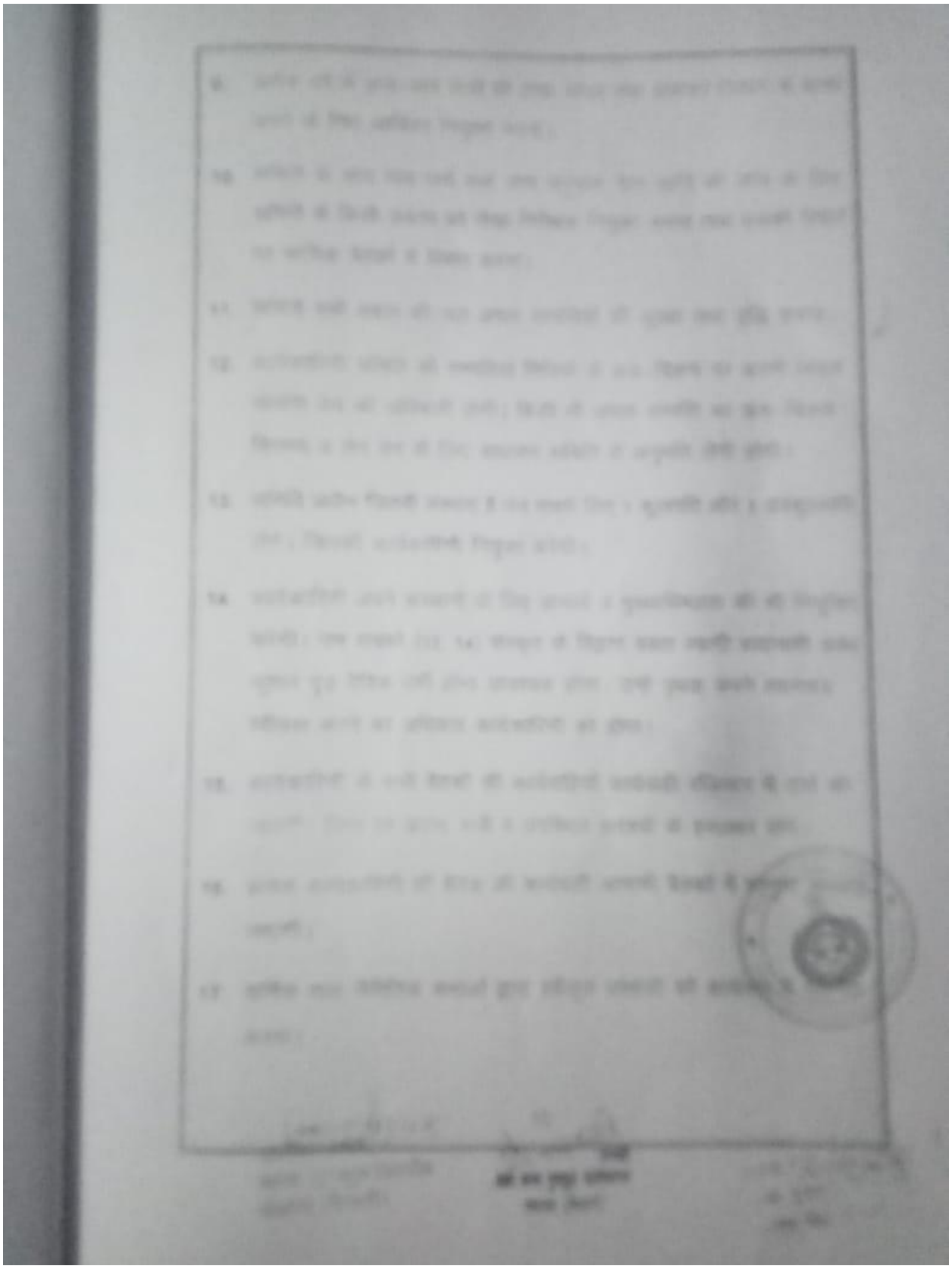

[illegible]

[illegible]

12. कार्यकारिणी के कर्तव्य/अधिकार :—

1. [illegible]

2. [illegible]

3. [illegible]

4. [illegible]

5. [illegible]

6. [illegible]

7. [illegible]

8. [illegible]

[illegible]

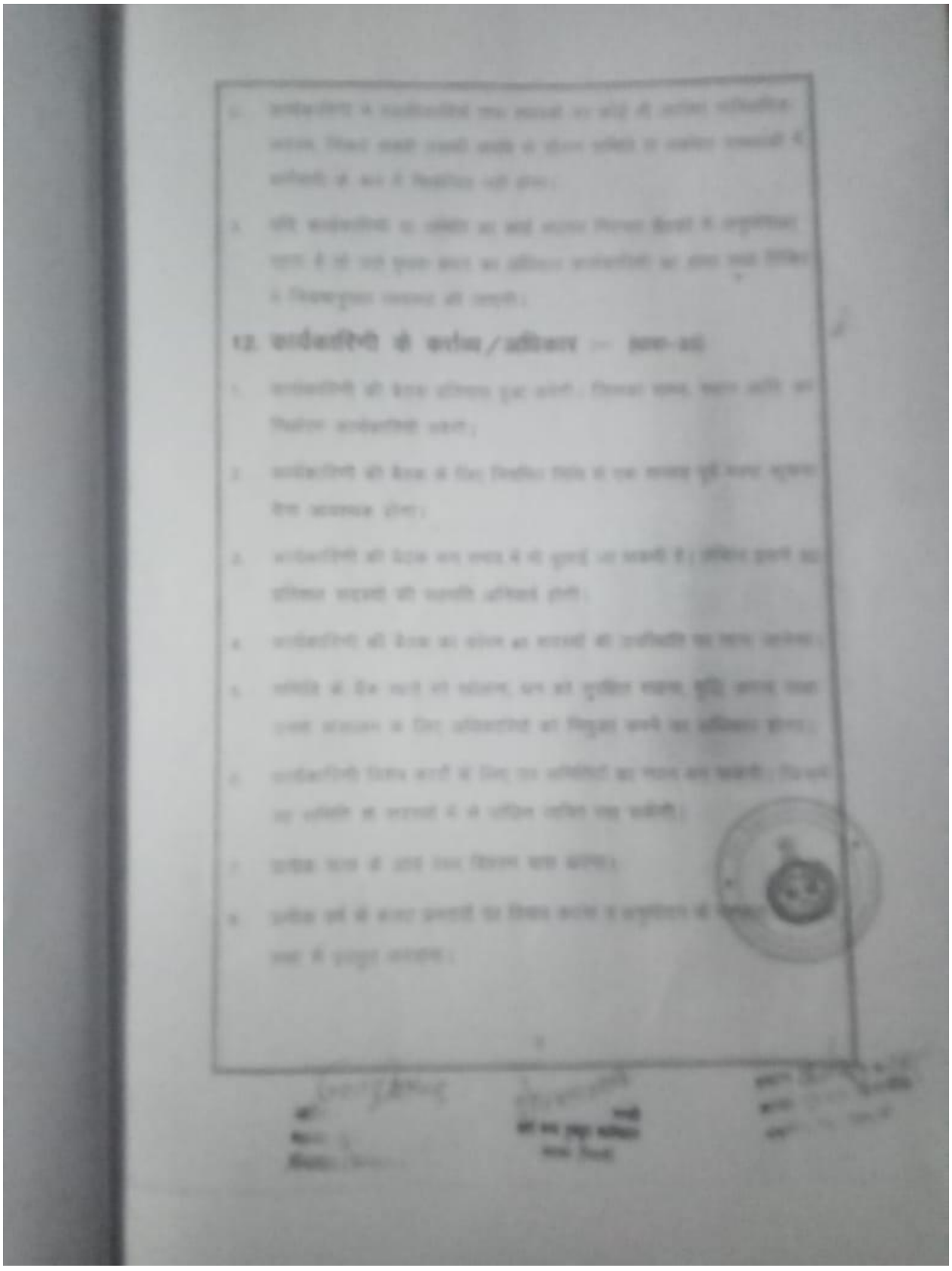

(ञ) साधारण सभा का वर्ष में एक बार अधिवेशन बुलाना अनिवार्य होगा। जिसके लिये प्रत्येक सदस्य को 14 दिन पूर्व स्पष्ट सूचना पत्र (नोटिस) प्रेषित किया जायेगा।

9. नैमित्तिक असाधारण अधिवेशन:– (धारा–13)

(क) सभा की विशेष बैठक किसी भी समय 1/10 सदस्यों के अनुरोध पर बुलाई जा सकती है परन्तु उन सदस्यों का नाम सहित पूर्ण विवरण देना आवश्यक होगा। असाधारण बैठक 45 दिन के पूर्व स्पष्ट नोटिस पर बुलाई जा सकती है। असाधारण बैठक की सूचना सभी सदस्यों को 14 दिन के स्पष्ट नोटिस (लिखित) से देनी होगी। जिसकी एक प्रति सम्बन्धित जिला रजिस्ट्रार सोसाइटी को भेजी जायेगी।

(ख) **संविधान में परिवर्तन/संवर्धन :– (धारा–26)** समिति की साधारण सभा को विशेष प्रस्ताव पास कर संविधान के नियमों में परिवर्तन, परिवर्धन एवं विलोपन करने का पूर्ण अधिकार होगा। जिसके लिए विशेष अधिवेशन बुलाकर समिति के कुल सदस्यों का 1/2 सदस्यों की उपस्थिति में 70 प्रतिशत बहुमत से यह संभव होगा।

(ग) **संविधान प्रति की नकल:– (धारा–28)** समिति का कोई भी सदस्य संविधान की प्रति निर्धारित शुल्क पर प्राप्त कर सकेगा।

(घ) **कोरम :–** सामान्य अवस्था में साधारण सभा अथवा कार्यकारिणी का कोरम 40 प्रतिशत ही होगा।

10. कार्यकारिणी:– (धारा–32)

(क) इस समिति के संचालन के लिए 21 सदस्यों की कार्यकारिणी होगी। पदाधिकारियों तथा 16 निर्वाचित सदस्य होंगे। जिनका निर्वाचन साधारण सभा अपने त्रै-वार्षिक अधिवेशन में करेगी। इसका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

कोषाध्यक्ष,
कन्या गुरुकुल विद्यापीठ
(भिवानी)

मन्त्री
संस्था (भिवानी)

प्रधान
विद्यापीठ

(अ) साधारण सभा का वर्ष में एक बार अधिवेशन बुलाना अनिवार्य होगा। जिसके लिये प्रत्येक सदस्य को 14 दिन पूर्व स्पष्ट सूचना पत्र (नोटिस) प्रेषित किया जायेगा।

9. नैमित्तिक असाधारण अधिवेशन:– (धारा–13)

(क) सभा की विशेष बैठक किसी भी समय 1/10 सदस्यों के अनुरोध पर बुलाई जा सकती है परन्तु उन सदस्यों का नाम सहित पूर्ण विवरण देना आवश्यक होगा। असाधारण बैठक 45 दिन के पूर्व स्पष्ट नोटिस पर बुलाई जा सकती है। असाधारण बैठक की सूचना सभी सदस्यों को 14 दिन के स्पष्ट नोटिस (लिखित) से देनी होगी। जिसकी एक प्रति सम्बन्धित जिला रजिस्ट्रार सोसाइटी को भेजी जायगी।

(ख) **संविधान में परिवर्तन/संवर्धन :– (धारा–26)** समिति की साधारण सभा को विशेष प्रस्ताव पास कर संविधान के नियमों में परिवर्तन, परिवर्धन एवं विलोपन करने का पूर्ण अधिकार होगा। जिसके लिए विशेष अधिवेशन बुलाकर समिति के कुल सदस्यों का 1/2 सदस्यों की उपस्थिति में 70 प्रतिशत बहुमत से यह संभव होगा।

(ग) **संविधान प्रति की नकल:– (धारा–28)** समिति का कोई भी सदस्य संविधान की प्रति निर्धारित शुल्क पर प्राप्त कर सकेगा।

(घ) **कोरम :–** सामान्य अवस्था में साधारण सभा अथवा कार्यकारिणी का कोरम 40 प्रतिशत ही होगा।

10. कार्यकारिणी:– (धारा–32)

(क) इस समिति के संचालन के लिए 21 सदस्यों की कार्यकारिणी होगी [illegible] पदाधिकारियों तथा 16 निर्वाचित सदस्य होंगे। जिनका निर्वाचन [illegible] अपने त्रै–वार्षिक अधिवेशन में करेगी। इसका कार्यकाल तीन वर्ष का होगा।

कोषाध्यक्ष

मन्त्री

प्रधान

(ख) अगर सम्पत्ति में कोई वाद विवाद पैदा होता है तो उसका निपटारा करने का पूरा अधिकार कुलपति को होगा। जिसका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।

(ग) समिति पंचगांव में भूमिदाता माता० मनसाराम [illegible] की इच्छानुसार इस [illegible] की धारा 3(1) के अनुसार केवल कन्याओं के लिए गुरुकुल महाविद्यालय चलाएगी।

(घ) इस संस्था की सम्पत्ति के आय का कोई भाग सदस्यों को वापस या अन्य किसी रूप में नहीं दिया जावेगा।

(ङ) यदि इस संस्था या शिक्षा समिति का विघटन हो जाता है तो उसकी सम्पत्ति देनदारियाँ (कर्ज आदि चुकाने) के पश्चात जो भी बचती है उसको सदस्यों में विभाजित नहीं किया जावेगा। अपितु "आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा दयानन्द मठ, रोहतक" इसकी स्वामिनी होगी जो कि सार्वजनिक परोपकार आदि कार्यों के लिए इसे प्रयुक्त कर सकेगी।

सामान्य अवस्थाओं में "आर्य प्रतिनिधि सभा हरियाणा" का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी गतिविधि या सम्पत्ति में हस्तक्षेप नहीं होगा।

इत्योम् शम्

—0—

[illegible]
[illegible] गुरुकुल विद्यापीठ,
[illegible] (भिवानी)

मन्त्री
आर्य कन्या गुरुकुल महाविद्यालय
पंचगांव (भिवानी)

प्रधान [illegible]
[illegible]
[illegible] (भिवानी)